दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि॰

के बहिर्नियम

1) इस कंपनी का नाम "दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि॰" है।

2) कंपनी का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली राज्य में स्थित है।

3) कंपनी स्थापित करने के उद्देश्य इस प्रकार हैं।–

(क) मुख्य, अनुषंगी और प्रासंगिक उद्देश्य

1) सामान्यतः राजकीय रूप से व्यापार करने वाले देशों और साथ ही साथ अन्य देशों के साथ उन वस्तुओं का व्यापार संगठित करना जो केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर कंपनी को सौपी जाएं और उन वस्तुओं की भारत तथा विश्व में कहीं भी खरीद, बिक्री और परिवहन की व्यवस्था करना ।

2) सामान्य रूप से निर्यात–संवर्धन के लिए कार्य करना (इसमें विद्यमान बाजारों में पारंपरिक अथवा अन्य वस्तुओं का निर्यात शामिल है), पारंपरिक निर्यात वस्तुओं के लिए नवीन बाजारों की खोज तथा नवीन वस्तुओं के निर्यात को विकसित करना जिससे निर्यात व्यापार का अनुक्षरण, विशाखन तथा विस्तार किया जा सके।

3) केन्द्र सरकार के अनुरोध पर अपर्याप्त पूर्ति वाली वस्तु का कीमतों में स्थिरता लाने और वितरण को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से आयात तथा/अथवा उसका देश में वितरण करने का उत्तरदायित्व लेना ।

4) वस्तु–विशेष के आयात–निर्यात, आंतरिक व्यापार तथा/वितरण के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जनहित में किए गए विशेष प्रबंधों को सामान्यतः क्रियान्वित करना ।

5) सभी प्रकार की वस्तुओं अथवा तिजारती माल का वस्तु विनिमय, विनिमय, रेहन, जोड़–तोड़, लेन–देन, निर्माण और व्यापार करना तथा ऐसे सभी वाणिज्यिक और/या वित्तीय व्यवसाय चलाना जिन्हें कंपनी समय–समय पर अपने हाथ में लेने का निर्णय करे।

6) कंपनी को प्राधिकृत किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक अथवा सुविधाजनक अथवा कंपनी के ग्राहकों या उसके साथ व्यापार करने वाले व्यक्तियों, की मांग पर अथवा लाभ कमाने की आशा में संयंत्रों, मशीनरी, उपस्करों, कारखानों, वाहनों, साधित्र और उपकरणों, नौकाओं, बारजों, छोटे और बड़े मालवाही जहाजों आदि का खरीदना, बेचना, विनिमय करना, संस्थापन करना, निर्माण करना, मरम्मत करना, बदलना, शोधन करना, सुधार करना, फेरबदल करना, बाजार के लायक तैयार करना और किराए पर देना और सुविक्रेय बनाने अथवा नए प्रयोग करने के लिए ऐसी वस्तुओं, पण्यों तथा माल का प्रक्रमण, रूपांतरण, विरचना तथा विनिर्माण जो आवश्यक हों अथवा जो कंपनी के विचार में कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आसानी से हाथ में ली जा सकती हैं अथवा जिनके द्वारा उन वस्तुओं, पण्यों या माल के मूल्य में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में वृद्धि हो सकती है।

7) ऐसे किसी अन्य व्यवसाय को चलाना, चाहे वह व्यापार हो अथवा कोई अन्य उपक्रम, जो कंपनी के विचार में उपर्युक्त से संबंधित है और सुविधापूर्ण चलाया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कंपनी की किसी संपत्ति अथवा उसके अधिकार के मूल्य में वृद्धि कर सकता है।

8) ऐसी किसी भी वास्तवी अथवा वैयक्तिक संपत्ति तथा किसी भी अधिकार अथवा विशेषाधिकार को क्रय करके, पट्टे पर लेकर, अथवा बदले में लेकर किराए पर लेकर अथवा अन्य किसी प्रकार से उपार्जित करना, जिसे कंपनी अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक अथवा सुविधाजनक समझती है अथवा जिससे कंपनी की किसी अन्य संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाने की संभावना है।

9) भारत और/या अन्य किसी भी देश में किसी भी प्रकार के भवनों तथा सुविधाओं को क्रय करना, अर्जन करना, पट्टे पर लेना, किराए पर लेना, किराए पर देना, निर्माण करना, रचना करना, निष्पादित करना, लागू करना, सज्जित करना, सुधारना, कार्यान्वित करना, विकसित करना, संचालित करना, व्यवस्थित करना, अनुरक्षित करना, विस्तारित करना, ढहाना, हटाना, प्रतिस्थापित करना अथवा पुनः निर्मित करना। भवनों और सुविधाओं में अन्य चीजों के अतिरिक्त सड़कें, रेलवे साइडिंग, जेट्टी, घाट, जहाज घाट, पुल, कैन्टीनें, माल गोदाम, भंडार, इमारतें, कार्यालय और/या आवास, कर्मचारियों के लिए मनोरंजन स्थल, इन भवनों तथा सुविधाओं के लिए प्रारम्भिक अथवा अन्य सर्वेक्षणों तथा प्रयोग आदि के लिए धन देना तथा उसके अर्जन, निर्माण अनुरक्षण अथवा उनमें सुधार करने के लिए होने वाले खर्च को अदा करना अथवा उसमें अपना अंशदान देना आदि शामिल हैं।

10) कंपनी द्वारा अथवा किसी अन्य पक्ष के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर अथवा अन्य किसी भूमि पर किसी भी प्रकार अथवा आकार के भवनों, निर्माण कार्यों अथवा उद्यमों का निर्माण, उत्थापन तथा अनुरक्षण ।

11) विश्व के किसी भी भाग में किसी पेटेंट, पेटेंट अधिकार, आविष्कार अधिकार, ट्रेडमार्क, डिजाइन, लाइसेंस, रियायतें अथवा इसी प्रकार के अन्य अधिकारों के लिए आवेदन देना, उनको खरीद कर अथवा अन्य प्रकार से अर्जित करना तथा उनका संरक्षण करना और उनका नवीयन कराते रहना । इसके अतिरिक्त उनके प्रयोग के अनन्य अथवा अनैकांतिक अथवा सीमित अधिकार प्रदान करना तथा किसी आविष्कार के संबंध में ऐसी गोपनीय अथवा अन्य सूचनाओं को हासिल करना जो कंपनी के किसी उद्देश्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है अथवा जिनका अधिग्रहण कंपनी के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभदायक हो सकता है। इस प्रकार से अर्जित संपत्ति, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में लायसेंस का उपयोग, प्रयोग, विकास अथवा उसे किसी अन्य को प्रदान करना । साथ ही ऐसे पेटेंटों, आविष्कारों अथवा अधिकारों के परीक्षण अथवा उनके सुधार संबंधी प्रयोगों पर धन खर्च करना ।

12) ऐसे किसी भी व्यक्तियों अथवा कंपनी के संपूर्ण अथवा आंशिक व्यवसाय संपत्ति और/या देयताओं को अधिग्रहीत अथवा अपने हाथ में ले लेना जो ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं अथवा करना चाहते हैं, जिसके लिए यह कंपनी ही प्राधिकृत है अथवा जिनके पास ऐसी संपत्ति है जो कंपनी के लिए उपयुक्त है, अथवा ऐसा व्यवसाय है जो कंपनी के व्यवसाय से संयुक्त होकर चलाया जा सकता है अथवा जिसके चलाने से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कंपनी को लाभ होगा ।

13) किसी भी ऐसे व्यक्ति अथवा ऐसी कंपनी को समामेलित करना, उसके साथ साझेदारी करना अथवा उसके साथ लाभ सहभागिता, हितों के संयोजन, सहयोग, संयुक्त जोखिम उठाने, संयुक्त विपणन अथवा पारस्परिक रियायतें देने अथवा प्रतिस्पर्धा सीमित करने के उद्देश्य से करार करना जो कंपनी के प्राधिकृत व्यवसाय अथवा सौदे में ही कार्यरत है अथवा कार्यरत होना चाहता है अथवा वह ऐसा व्यवसाय अथवा सौदा है जो संयोजन द्वारा चलाया जा सकता है अथवा जिसके इस रूप में संचालित करने से कंपनी को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभ पहुंच सकता है।

14) कंपनी की संपत्ति और अधिकारों – संपूर्ण अथवा उसके किसी भी भाग का सुधारना, प्रबंध करना, विकास करना अथवा उसके संबंध में अधिकार अथवा विशेषाधिकार प्रदान करना या अन्य प्रकार से सौदा करना ।

15) किसी अन्य कंपनी, सहकारी समिति अथवा समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत किसी अन्य समिति के शेयरों, स्टॉक, ऋणपत्रों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के लिए अभिदान करना, उन्हें खरीदना अथवा अन्य प्रकार से अर्जित करना अथवा धारण करना ।

16) कंपनी द्वारा समय–समय पर निर्धारित ऐसी धनराशि का निवेश और सौदा जिसकी उसको किसी भी तरह से तत्काल आवश्यकता नहीं है।

17) लाभकारी शर्तों पर व्यक्तियों अथवा कंपनियों को और विशेष रूप से अपने ग्राहकों और कंपनी के साथ लेन–देन करने वालों को रुपये उधार देना और इनकी ओर से तथा इनको किसी संविदा अथवा दायित्व के निष्पादन तथा रुपये के भुगतान के लिए गारंटी देना तथा सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति अथवा कंपनी को गारंटी तथा क्षतिपूर्ति देने का कार्य करना ।

18) जमा राशियों के रूप में धन प्राप्त करना, लेकिन बैंकिंग लेन–देन के रूप में नहीं, अथवा किसी भी व्यक्ति या बैंक अथवा कंपनी या सरकार से कंपनी द्वारा निर्धारित मात्रा में तथा तरीके से और विशेष रूप से बेमियादी अथवा अन्य प्रकार के ऋणपत्र तथा ऋणपत्र स्टॉक जारी करके ऋण लेना, उधार प्राप्त करना अथवा धन की व्यवस्था करना और उधार अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त की गई धनराशि के पुनर्भुगतान को सुनिश्चित करना अथवा कंपनी की संपूर्ण अथवा आंशिक संपत्ति अथवा परिसंपत्ति (वर्तमान और भावी दोनों) अथवा अनमांगी पूंजी को बंधक, रेहन अथवा लियन रखना तथा कंपनी या अन्य किसी व्यक्ति अथवा कंपनी द्वारा निभाए जाने की जमानत तथा गारंटी के रूप में उसी प्रकार से बंधक, प्रभार अथवा लियन रखना ।

19) रुक्के, विनिमय पत्र, लदान पत्र, अधिपत्र, ऋणपत्र, अन्य प्रकार के परक्राम्य अथवा हस्तांतरणीय प्रपत्र लिखना, काटना, जारी करना, स्वीकार करना, बेचान करना, बट्टा काटना अथवा निष्पादित करना ।

20) किसी भी सरकार अथवा प्राधिकरण (चाहे वह नागर, स्थानीय अथवा अन्य किसी प्रकार का हो) के साथ कोई भी ऐसा करार करना जो कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो और ऐसे किसी भी शासन, प्राधिकरण, व्यक्ति अथवा कंपनी से ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, चार्टर संविदाएं, लायसेंस तथा रियायतें प्राप्त करना जिन्हें कंपनी हासिल करना, लागू करना, पालन करना अथवा कार्यान्वित करना वांछनीय समझती है।

21) कर्मचारियों के लाभ के लिए अंशदायी अथवा अंशदायीएतर भविष्य और/या पेंशन अथवा अधिवर्ष निधियों की स्थापना करना, उन्हें बनाए रखना अथवा स्थापना तथा बनाए रखने का प्रबंध करना तथा ऐसे व्यक्तियों को तथा उनकी पत्नियों, विधवाओं, परिवारों और उनके आश्रितों को दान, उपदान, पेंशन, भत्ते अथवा परिलब्धियां देना अथवा देने का प्रबंध करना जो कंपनी अथवा उसकी नियंत्रित कंपनी अथवा कंपनी तथा नियंत्रित कंपनी की सहबद्ध तथा संबद्ध कंपनी में रोजगार अथवा नौकरी कर रहे हैं अथवा किसी समय करते थे अथवा उपर्युक्त कंपनियों में निदेशक अथवा अधिकारी हैं अथवा किसी समय थे तथा ऐसी संस्थाओं, संघों, क्लबों अथवा निधियों की स्थापना करना, उन्हें आर्थिक सहायता देना तथा चंदा देना, जो कंपनी की दृष्टि में कंपनी तथा उपर्युक्त कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए लाभकारी होगी और उनका हित अथवा कल्याण संवर्धन करेगी तथा उपर्युक्त व्यक्तियों के बीमा का अथवा बीमा के अंश का भुगतान करना । इनमें से किसी कार्य को अकेले ही अथवा उपर्युक्त कंपनियों के सहयोग से निष्पादित करना ।

22) कंपनी के वर्तमान और भूतपूर्व कर्मचारियों तथा उनकी पत्नियों और परिवारों तथा उनके आश्रितों की पत्नियों और परिवारों अथवा संबंधियों के कल्याणार्थ मकान अथवा आवास निर्माण करवाना अथवा उनके निर्माण के लिए आर्थिक योगदान देना अथवा उन्हें सहायता अनुदान, पेंशन, भत्ते, बोनस अथवा अन्य भुगतान प्रदान करना, तथा उनकी शिक्षा तथा मनोरंजन के स्थान, हस्पतालों तथा औषधालयों का

निर्माण और उनके रखरखाव, चिकित्सा और अन्य प्रकार की सहायता, जो कंपनी उचित समझे, की व्यवस्था करना अथवा उनके लिए धन देना अथवा उनमें योगदान देना, तथा दातव्य, परोपकारी, धार्मिक, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय, सार्वजनिक अथवा अन्य संस्थाओं, उद्देश्यों अथवा कार्यों के लिए चंदा, अनुदान अथवा अन्य प्रकार से सहायता प्रदान करना । लेकिन जिन संस्थाओं को धन दिया जाए वे विशुद्ध राजनीतिक दल अथवा संगठन न हों ।

23) भारत से बाहर विश्व के किसी भी भाग में कंपनी का पंजीयन, निगमन अथवा मान्यता प्राप्त करना अथवा उसका प्रबंध करना, भारत के अथवा विश्व के किसी भी स्थान पर कंपनी की शाखाएं अथवा एजेंसियाँ स्थापित करना अथवा नियुक्त करना अथवा उन्हें समाप्त करना और कंपनी के व्यवसाय को किसी उपनिवेश, डोमिनियन अथवा विदेश में चलाने के लिए आवश्यक कार्य करना, कंपनी के हितसाधन के लिए अधिनियम बनवाने अथवा डिगरी, रुचि, आदेश, अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश, उपनिवेशीय अथवा विदेशी विधायिकाओं, स्थानीय, नागर अथवा अन्य प्रकार के निकायों अथवा प्राधिकरणों के समक्ष अकेले अथवा संयुक्त रूप से याचिकाएं प्रस्तुत करना अथवा ऐसी याचिकाओं अथवा व्यवहारों के विरुद्ध विरोध पत्र प्रस्तुत करना जो कंपनी के हितों के विरुद्ध हैं, और विश्व के किसी भी भाग में कंपनी को उसी प्रकार के अधिकार अथवा विशेषाधिकार दिलवाने के सभी उपाय करना जो वहां की उसी प्रकार की स्थानीय कंपनियों अथवा साझेदारियों को मिले हुए हैं।

24) इस कंपनी अथवा किसी अन्य कंपनी की संपूर्ण अथवा आंशिक संपत्ति अधिकारों तथा देयताओं को लेने के उद्देश्य से अथवा किसी अन्य ऐसे उद्देश्य से जिससे कंपनी को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई लाभ हो, कोई कंपनी अथवा कंपनियों अथवा संस्थाएं स्थापित करना, प्रवर्तित करना, हाथ में लेना, अथवा उनके गठन, स्थापना अथवा प्रवर्तन में सहयोग देना अथवा कोई नियंत्रित कंपनी अथवा कंपनियाँ गठित करना और उसके शेयरों, ऋणपत्रों अथवा अन्य प्रतिभूतियों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से लेने के लिए प्रस्तुत होना अथवा प्रस्तुत होने की गारंटी देना, उनकी हामीदारी भरना, उनका अभिदान करना अथवा अन्य किसी प्रकार से कार्रवाई करना ।

25) निगम के उपर्युक्त उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक संगठन परामर्श मंडल अथवा अन्य इसी प्रकार की उपर्युक्त संस्थाएं प्रवर्तित तथा स्थापित करना ।

26) क) कंपनी की संपत्ति, परिसंपत्तियों अथवा उपक्रम अथवा उनके किसी भी भाग को ऐसे प्रतिफल के बदले बेचना, पट्टे पर देना, बंधक रखना अथवा किसी अन्य प्रकार से उसकी बिक्री करना, जिसे कंपनी उपयुक्त समझती है।

ख) यदि कंपनी उचित समझे तो अपनी किसी भी संपत्ति, परिसंपत्तियों अथवा उपक्रम अथवा उसके किसी भी भाग को बिना किसी प्रतिफल के ऐसे किसी कंपनी के नाम हस्तांतरण करना जिसकी संपूर्ण शेयर पूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिदत्त है ।

27) किसी व्यक्ति अथवा कंपनी अथवा सरकार के अभिकर्ता, इंडेन्टर या/और न्यासवारी के रूप में कार्य करना तथा उप ठेकेदारी लेना अथवा निष्पादित करना अथवा इन सभी अथवा इनमें से किसी भी कार्य को विश्व के किसी भाग में स्वयं अथवा दूसरों के साथ संयुक्त होकर अथवा अभिकर्ताओं, उप ठेकेदारों, न्यासवारियों अथवा अन्यों के माध्यम से निष्पादित करना।

28) ऐसे किसी भी न्यास को निःशुल्क अथवा अन्य प्रकार से संभालना अथवा निष्पादित करना जिससे कंपनी को लाभ हो सकता है।

29) कंपनी जिन वस्तुओं का व्यापार करती है अथवा जिनमें उसकी रूचि है उन्हें प्रचारित करने अथवा उनके संबंध में जानकारी देने के लिए समुचित साधनों का उपयोग करना जिनमें अखबारों में विज्ञापन देना, परिपत्र जारी करना, कला अथवा रोचक कृतियों की खरीद तथा उनका प्रदर्शन, पुस्तकें तथा सावधिक पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा पुरस्कार, पारितोषक और दान आदि प्रदान करना शामिल है।

30) जिन उत्पादों अथवा वस्तुओं में कंपनी की रुचि है, उनकी भारत तथा विदेशों में प्रदर्शनी आयोजित करना अथवा उनके आयोजन में सहायता देना।

31) व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के विषय में आंकड़े तथा अन्य सूचनाएं एकत्रित करना और उन्हें परिचालित करना।

32) वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुसंधानों तथा प्रयोगों, सभी प्रकार के परीक्षणों तथा वैज्ञानिक और तकनीकी खोजों और आविष्कारों के अध्ययन, उनके लिए प्रयोगशालाओं और प्रयोगात्मक कार्यशालाओं की स्थापना, प्रबंध, अनुरक्षण, संचालन, अथवा उन्हें आर्थिक सहायता देने, उनका दायित्व संभालने अथवा उन्हें चलाने तथा उनके संवर्धन के लिए व्यवस्था करना, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, पुस्तकालयों, भाषणों, बैठकों तथा सम्मेलनों को आर्थिक सहायता, दान अथवा सहायता देना तथा वैज्ञानिक और तकनीकी प्रोफेसरों अथवा अध्यापकों को वेतन देना अथवा उनके वेतन में आंशिक योगदान देना तथा विद्यार्थियों अथवा अन्यों को पुरस्कार, छात्रवृत्तियां, इनाम, अनुदान देना और सामान्य रूप से ऐसे सभी अध्ययनों, अनुसंधानों, खोजों, प्रयोगों, परीक्षणों तथा आविष्कारों को प्रोत्साहन, संवर्धन तथा पुरस्कार देना जो कंपनी की दृष्टि में उनके व्यवसाय में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

33) कोई भी मूल्यह्रास निधि, आरक्षण निधि, निक्षेपनिधि, बीमानिधि, विकास अथवा अन्य कोई विशेष निधि स्थापित करना अथवा उसमें अंशदान देना। इन विशेष निधियों में आर्थिक सहायता के भुगतान के लिए बनाई गई निधि, कंपनी की किसी संपत्ति के मूल्य–ह्रास के लिए अथवा उसकी मरम्मत करने अथवा उसमें सुधार करने अथवा उसका विस्तार करने अथवा उसका रखरखाव करने अथवा पूंजी के परियोजन अथवा कंपनी के हित में सहायता उद्देश्य के लिए बनाई गई निधियां शामिल हैं।

34) कंपनी की संपत्ति का पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से तथा अकेले ही अथवा अन्य किसी व्यक्ति/व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के साथ मिलकर बीमाकर्ता अथवा हामीदार के रूप में कार्य करना तथा कंपनी की संपूर्ण संपत्ति अथवा उसके एक अंश का संपूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से बीमा कराना और उससे उत्पन्न देयता अथवा हानि से कंपनी को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से संरक्षित करना अथवा उसकी क्षतिपूर्ति करना तथा पारस्परिक मालिक अथवा अन्य प्रकार से बीमा, संरक्षण तथा क्षतिपूर्ति करना तथा कंपनी की संपूर्ण अथवा आंशिक नौ जोखिम देयता को हामीदार के रूप में स्वीकार करना।

35) कंपनी के किसी व्यवसाय हेतु आवश्यक अथवा जो उसी प्रकार का व्यवसाय करने वाले, व्यक्तियों द्वारा सामान्य रूप से सप्लाई की जाती है अथवा वे उनका सौदा करते हैं, अथवा जिनका कंपनी के किसी व्यवसाय के संबंध में लाभदायक रूप से लेन–देन किया जा सकता है, ऐसी सभी प्रकार की वस्तुओं अथवा चीजों का विनिर्माण भंडारण, अनुरक्षण, विक्रय, क्रय, मरम्मत, परिवर्तन, विनिमय करना, उन्हें किराए पर देना, उनका निर्यात, आयात और सौदा करना (इनमें सभी प्रकार के वाहन, सभी हिस्से–पुर्जे, फिटिंग्स, औजार, उपकरण, सहायक उपकरण, सामग्री तथा वे सभी सामान तथा वस्तुएं शामिल हैं जो किसी भी प्रकार से इस व्यवसाय में प्रयुक्त होते हैं अथवा प्रयुक्त किए जा सकते हैं)।

36) कंपनी के व्यवसाय से संबद्ध फैक्ट्रियों, बस्तियों, संपदाओं, रेलवे साइडिंगों, निर्माण यार्डों, कुओं, जलाशयों, सारणियों, पंप स्थापनाओं, शुद्धिकरण संयंत्रों, पाइप लाइनों, अवतरण भूमि, हैंगरों, गैराजों, भंडारण शेडों तथा सभी प्रकार के स्थानों को अधिग्रहीत, स्थापित करना उनका निर्माण, प्रबंध तथा अनुरक्षण करना और उन पर नियंत्रण रखना।

37) जमीन के ऊपर और नीचे, पानी में तथा हवा में चलने वाले सभी प्रकार के तथा आकार के वाहन और पोत खरीदना, चार्टर करना, किराए पर लेना, निर्माण करना अथवा अन्य किसी प्रकार से अधिग्रहीत करना और उन्हें यात्रियों के सभी प्रकार के माल ढोने के काम में लगाना, आवश्यक साज सामान

से सज्जित करना तथा लदान करना और जब ये वाहन और पोत कंपनी के व्यवसाय में न लगे हों तब कंपनी के लिए लाभदायक किराए–भाड़े अथवा शर्तों पर उन वाहनों अथवा पोतों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से किराए पर, भाड़े पर अथवा व्यापारिक आधार पर चलाना।

38) कंपनी के व्यवसाय के सबंध में भारतीय अथवा विदेशी परामर्शदाताओं अथवा विशेषज्ञों को नियुक्त करना और उन्हें वेतन देना।

39) किसी भी ऐसी संक्रिया अथवा ऐसे निर्माण कार्य अथवा भवनों के लिए आर्थिक सहायता देना अथवा योगदान देना अथवा अन्य प्रकार की सहायता देना अथवा उनके निर्माण, अनुरक्षण, सुधार, प्रबंध, कार्य संचालन, नियंत्रण अथवा अधीक्षण में भाग लेना, जो कंपनी की उद्देश्य–पूर्ति के लिए उपयोगी हैं अथवा कार्यसाधक हैं अथवा सुविधाजनक हैं अथवा जिन्हें उसके अनुकूल बनाया जा सकता है तथा जिनका निर्माण अथवा स्वामित्व अथवा कार्य संचालन अथवा नियंत्रण अथवा अधीक्षण किसी अन्य व्यक्ति अथवा कंपनी के हाथ में है। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों अथवा कंपनियों को भी आर्थिक अथवा अन्य प्रकार से सहायता देना जो किसी उपक्रम अथवा संक्रिया से कंपनी के साथ संयुक्त रूप से संबंधित हैं, उत्तरदायी हैं अथवा उन्हें यह उपक्रम आदि सौंपा गया है।

40) जीवन के लिए आवश्यक सुविधाओं समेत ऐसी वस्तुओं, सामग्री अथवा ऐसे माल को खरीदना, बेचना अथवा उनके विनिर्माण तथ लेन–देन का व्यवसाय करना जो कर्मकारों (चाहे वे कंपनी के हों अथवा अन्य स्थानों पर काम करते हों) के लिए उपयोगी हैं अथवा उन्हें उनकी जरूरत पड़ती रहती है तथा ऐसी चीजों की दुकानें अथवा स्टोर खोलना और उन्हें कायम रखना और सामान्य रूप से विनिर्माण, व्यापार अथवा अन्य व्यवसाय करते रहना।

41) कर्मचारियों तथा उनके परिवारों तथा अन्यों के कल्याणार्थ अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और अन्य चिकित्सा संस्थाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, बाजार, दुकानें तथा स्टोर, क्लब, सिनेमा तथा मनोरंजन के अन्य स्थान, मोटर परिवहन सेवाएं, आवास बस्तियां, होटल तथा जलपानगृह, अतिथिगृह, होस्टल, धोबीखाना, डेयरी, अग्निशमन केंद्र आदि की स्थापना, उनका रखरखाव तथा उन्हें चालू रखना।

42) इस कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोई मिश्रित पूंजी कंपनी अथवा कंपनियां गठित, निगमित अथवा प्रवर्तित करना तथा ऐसी कंपनी / कंपनियों में शेयर खरीदना, धारण करना अथवा अन्य किसी प्रकार से अर्जित करना और सामान्य रूप से किसी भी ऐसी कंपनी में शेयर धारण करना जिसके व्यवसाय से कंपनी को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभ पहुंच सकता है तथा इस तरह के प्रवर्तन अथवा निगमन के संबंध में आने वाली लागत अथवा इसमें होने वाले खर्च को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से वहन करना।

43) कंपनी पूंजी के शेयरों अथवा बंधपत्रों, ऋणपत्रों, दायित्वों अथवा प्रतिभूतियों अथवा कंपनी द्वारा धारित अथवा स्वामित्व वाले अथवा जिनमें कंपनी का हित निहित हो सकता है अथवा किसी अन्य कंपनी के गठन में अथवा उसके गठन के सबंध में अथवा जिसमें कंपनी का हित निहित हो सकता है, ऐसे किसी स्टाक, शेयरों, बंधपत्रों, ऋणपत्र, आदि के अभिदान प्राप्त करने अथवा अभिदान प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत करने में सहायता देने, अभिदान की गारंटी देने आदि के लिए दी गई अथवा दी जाने वाली सेवा के एवज किसी व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी को पारिश्रमिक देना।

44) कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने अथवा उनमें से किसी का विस्तार करने अथवा अन्य किसी कार्य साधक उद्देश्यों के लिए आवश्यक अथवा व्यावहारिक सभी शक्तियां अथवा प्राधिकार प्राप्त करने के लिए भारत, ब्रिटेन अथवा अन्य स्थानों में आदेश, अथवा विधानमंडल को अधिनियम पारित करवाना अथवा किसी भी देश, राज्य अथवा डोमिनियन के प्राधिकारियों से आदेश, अधिनियम अथवा प्राधिकार

प्राप्त करना तथा कंपनी के हितों के प्रत्यक्ष अथव परोक्ष रूप से विरुद्ध जाने वाली कार्रवाइयों अथवा आवेदनों का विरोध करना।

45) किसी व्यापार अथवा व्यवसाय विशेष अथवा सामान्यतः व्यापार और वाणिज्य से संबंधित किसी संघ, संस्था अथवा निधि की स्थापना, विस्तार अथवा उसके अनुरक्षण के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों को किसी भी ढंग से अनुप्रयुक्त करना। इसके बट्टे खाते की रकमों, हड़तालों, गुटबंदियों, अग्नि दुर्घटना अथवा अन्य प्रकार की हानियों के विरुद्ध मालिकों, स्वामियों अथवा नियोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने वाले, अथवा कंपनी में अथवा उसकी पूर्ववर्ती कंपनी अथवा व्यवसाय में किसी भी समय काम कर रहे क्लर्कों, कर्मकारों अथवा अन्य व्यक्तियों अथवा उनके परिवारों और आश्रितों के लाभ के लिए गठित संघ, संस्था अथवा निधि भी शामिल है।

46) औद्योगिक अथवा श्रमिक समस्याओं अथवा अशांति के समाधान, निपटारे अथवा उन पर विजय पाने के उद्देश्य से अथवा उद्योग तथा व्यापार के संवर्धन के लिए काम कर रहे किसी संघ, संस्था अथवा आंदोलन को आर्थिक अथवा अन्य प्रकार से सहायता देना।

47) कंपनी की किसी भी संपत्ति को राष्ट्रीय, सार्वजनिक अथवा स्थानीय हित में किसी राष्ट्रीय न्यास, सार्वजनिक संस्था, संग्रहालय, निगम अथवा प्राधिकरण को निःशुल्क अथवा समूल्य समर्पित, भेंट अथवा अन्य प्रकार से दे देना।

48) कंपनी की किसी संपत्ति अथवा नकदी अथवा किसी बिक्री की संप्राप्ति को कंपनी के सदस्यों में बांट देना अथवा दे देना। किंतु ऐसे वितरण से तब तक पूंजी नहीं घटनी चाहिए, जब तक इसके लिए तत्कालीन कानून द्वारा अपेक्षित मंजूरी न हो।

49) देश में या अन्यत्र कोई खान, खनन अधिकार और धातुमय भूमि खरीदना, पट्टे पर लेना या अन्यथा अधिगृहीत करना और उनमें कोई रुचि रखना, अन्वेषण करना, विकास करना और उनका संचालन करना तथा/या सभी या किन्हीं खनन कार्यों या विकास कार्यों या सुरक्षा और खानों की दीर्घकालिकता के लिए किसी अन्य पार्टी के साथ साझेदारी, सहयोग या समझौता करना।

50) पेरना, पाना, प्राप्त करना, खोदना, पिघलाना, फूंकना, परिष्कृत करना, संवारना, मिलाना, प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और बाजार के लिए अयस्क, धातु और सभी प्रकार के खनिजीय तत्व और अन्य धातुकर्मीय कार्यों जो कंपनी के किसी भी उद्देश्य के लिए प्रेरक दिखाई देता है।

51) अग्रगामी व्यापार हैजिंग या विदेशी मुद्रा, वस्तुएं, उत्पाद, उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर और साफ्टवेयर सहित संचार अवस्थापना, उत्सर्जन क्रेडिट्स में आनलाइन व्यापार को शामिल करते हुए किसी अन्य प्रकार की व्यापारिक गतिविधि का आयोजन करना।

52) कंपनी के हित में या तो किसी वास्तविक सम्पदा को अपने कार्यालयों मालगोदामों, अन्य व्यापारिक अवस्थापनाओं, मकानों या कर्मचारियों की सुविधाओं या सुधार करने, विकास करने, बेचने, किराए या पट्टे पर देने के लिए या किसी वास्तविक सम्पदा को किराए या पट्टे पर लेना या अन्यथा रूप में खरीदना।

53) उपर्युक्त उद्देश्यों में से सभी को एक साथ अथवा एक–एक करके प्राप्त करना अथवा यदि आवश्यक हो उनमें से एक अथवा एकाधिक को कितने ही समय तक स्थगित रखना।

54) एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस बहिर्नियम में उल्लिखित "कंपनी" शब्द यदि इस कंपनी के अलावा किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त किया गया है तो उसमें कोई भी प्राधिकरण, साझेदारी अथवा व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, निगमित/अनिगमित शामिल हैं।

55) ये सभी कार्य करना जिन्हें कंपनी उपर्युक्त उद्देश्यों अथवा उनमें से किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक अथवा सहायक समझती है।

ख) अन्य उद्देश्य

1) समय–समय पर केंद्रीय सरकार के निदेशों के अनुसार वस्तुओं, पण्यों, पदार्थों अथवा माल को विशेष कोटियों का प्रक्रमण, रूपांतरण, विरचना, विनिर्माण तथा उत्पादन कार्य करना।

2) उपर्युक्त उद्देश्य के लिए भारत और / या विदेश में ऐसी मशीनरी, संयंत्र, निर्माण कार्य, फैक्ट्रियाँ, उपस्कर, साधित्र तथा उपकरण संस्थापित, गठित, निर्माण, अधिग्रहीत, क्रय करना, किराए पर लेना, अनुरक्षण करना, चलाना, संचालित अथवा स्थापित करना तथा अन्य सभी ऐसे कार्य करना जो उसके लिए आवश्यक, अनुषंगी तथा प्रासंगिक और/या कंपनी के लिए सुविधाजनक हों ।

IV सदस्यों की देयता सीमित है।

V कपंनी की पूंजी 200,00,00,000 रुपये (दो सौ करोड़ रुपये) है जो 10–10 रुपये (दस रुपये प्रत्येक) के 20,00,00,000 (बीस करोड़) शेयरों में विभक्त है ।

हम बहुत से व्यक्ति जिनके नाम तथा पते यहां अंकित हैं, इस संस्था के बहिर्नियमों का अनुरक्षण करते हुए एक कंपनी के रूप में गठित होने के इच्छुक हैं, और हम कंपनी की पूंजी में अपने नाम के आगे उल्लिखित शेयरों की संख्या खरीदने के लिए सहमत हैं।

• खण्ड 49 से 52 जोड़े गए और दिनांक 04.05.2009 के डाक मत–पत्र द्वारा मंजूरशुदा पूर्व खंड 49 से 51 तक 53 से 55 के रूप में पुनः क्रमांकित किए गए।

अभिदाताओं के नाम, पते, विवरण तथा पेशा	इन अभिदाताओं द्वारा लिए गए शेयरों की संख्या	हस्ताक्षर	गवाह
1) भारत के राष्ट्रपति (एच.वी.आर. आयंगर) सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत के राष्ट्रपति हेतु तथा उनकी ओर से	4998		
2) (के. बी. लाल) संयुक्त सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली ।	1		
3) (सतीश चन्द्र) संयुक्त सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली ।	1		

दिनांक 18 मई, 1956

*आरम्भ में पूंजी एक करोड़ रुपये तक थी जो कि बाद में इस प्रकार बढ़ाई गई :–

1958–59 पांच करोड़ रुपये तक

1970–71 पन्द्रह करोड़ रुपये तक

1982–83 तीस करोड़ रुपये तक शेयर, 31–01–92 को हुई विशेष आम सभा में यथा संशोधित रु 100 से रु 10 में उप विभाजित

** 26.09.2007 को हुई वार्षिक आम सभा में यथा संशोधित

दिल्ली उच्च न्यायालय में
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार
कंपनी अधिनियम, 1956 के मामले में
तथा
भारतीय राज्य व्यापार निगम के मामले में
कंपनी आवेदन सं 41–डी/66 से संबद्ध
कंपनी याचिका सं. 55–डी/1965
याचिका पर आदेश
भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. याचिकादाता
माननीय न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना के समक्ष
दिनांक 31 मार्च, 1967

उपर्युक्त याचिका 31 मार्च, 1967 को सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुई। उक्त याचिका, 11–3–66 के आदेश जिसके द्वारा उपर्युक्त कंपनी को अपने लेनदारों तथा सदस्यों की पृथक बैठक बुलाने और उसमें कंपनी तथा उसके सदस्यों और लेनदारों के बीच प्रस्तावित समझौते अथवा राजीनामे पर विचार करने और यदि उचित समझा जाए तो उसे बिना किसी संशोधन के अथवा उसमें संशोधन करके स्वीकृत करने का आदेश दिया गया था और दिनांक 1–12–1965 को प्रस्तुत श्री पी.एन. अग्रवाल, सुपुत्र स्वर्गीय रायबहादुर सी.पी. अग्रवाल के शपथपत्र में संलग्न दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली ता. 5 अप्रैल, 1966, दि टाइम्स आफ इंडिया बम्बई ता. 8 अप्रैल 1966, दि हिन्दू मद्रास ता. 7 अप्रैल, 1966, दि स्टेट्समैन कलकत्ता ता0 10 अप्रैल, 1966, दि इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली ता0 7 अप्रैल 1966, तथा भारत का राजपत्र ता. 16 अप्रैल, 1966 जिनमें से प्रत्येक में 11 मार्च, 1966 के उक्त आदेश के निदेश के अनुसार उक्त बैठकों को बुलाने के उक्त नोटिस का विज्ञापन प्रकाशित किया गया, 25 अप्रैल, 1966 को भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. के निदेशक श्री के.पी.यू. मेनन का शपथ–पत्र, जिसमें उक्त बैठकों को बुलाने के नोटिसों का प्रकाशन तथा प्रेषण दर्शाया गया है उक्त बैठकों के परिणाम के बारे में 30 अप्रैल, 1966 तथा 7 मई, 1966 की उक्त बैठकों के अध्यक्ष की रिपोर्टों को पढ़कर तथा याचिकादाताओं के वकीलों सर्वश्री रवीन्द्र नारायण तथा केशवदयाल और कंपनियों के पंजीयक तथा केंद्रीय सरकार की ओर से श्री सतीश चन्द्र को सुनकर और रिपोर्टों से यह दिखाई देकर कि प्रस्तावित समझौते अथवा राजीनामे उपस्थित सदस्यों तथा लेनदारों ने स्वयं अथवा प्रतिनिधि के रूप में मत देकर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

यह न्यायालय एतद्द्वारा इस आवेदन के पैरा 5 तथा इसकी अनुसूची में उल्लिखित समझौते अथवा राजीनामे को मंजूर करता है और एतद्द्वारा घोषणा करता है कि यह कंपनी के सदस्यों तथा लेनदारों और उक्त कंपनी के लिए बंधनकारी है। और यह न्यायालय यह भी आदेश देता है :–

कि समझौते अथवा राजीनामे के पक्षकार अथवा अन्य व्यक्ति, जिनका इसमें हित संबद्ध है, इसके क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देशों के लिए इस न्यायालय में आवेदन के लिए स्वतंत्र होंगे और कि उक्त कंपनी आज की तारीख से 14 दिन के भीतर इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति कंपनियों के पंजीयक के पास भेजेगी।

अनुसूची

भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., जो एक प्राइवेट लिमिटेड कं. है और जिसका पंजीयित कार्यालय 9–10, मथुरा रोड, नई दिल्ली है और उसके सदस्यों और लेनदारों के मध्य हुए समझौते अथवा राजीनामे संस्वीकृत योजना।

प्रस्तावना

(क) भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 की अन्तर्गत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई थी। इसकी प्राधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपया थी, जो 100–100 रुपए के एक लाख इक्विटी शेयरों में विभक्त थी, जिसे बाद में बढ़ा कर 5 करोड़ रुपया कर दिया गया और तदनुसार इक्विटी शेयरों की संख्या भी 5 लाख हो गई; प्रारंभ में प्रदत्त पूंजी 5 लाख रुपए थी जिसे बढ़ा कर अक्तूबर 1956 में 10 लाख रुपए, मार्च, 1957 में एक करोड़ रुपए और 1958–59 के दौरान 2 करोड़ रुपए कर दिया गया। 30 सितम्बर, 1963 के दिन शेयरधारियों की एक सूची इसके साथ संलग्न पहली अनुसूची में दी गई है। 30 सितम्बर, 1963 को कंपनी कच्ची खनिज धातुओं (जैसे कच्चा लोहा, कच्ची मैगनीज आदि), उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनिर्मित चीजों (जैसे जूट की वस्तुएँ, ऊनी कपड़ा, जूते, नमक आदि) का निर्यात तथा पण्यों (जैसे अलौह धातु, इस्पात, रसायन, उर्वरक आदि) का आयात और वितरण का कार्य कर रही थी।

(ख) कंपनी ने ऐसे कोई ऋणपत्र जारी नहीं किए हैं जो इस उद्यम तथा कंपनी की सभी अथवा किसी भी संपत्ति अथवा परिसंपत्ति पर कोई प्रभार हों।

(ग) कंपनी का भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली में एक नकदी उधार लेखा खुला हुआ था जिसकी जमानत के रूप में कंपनी ने एक वचन पत्र दिया हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय (वर्तमान वाणिज्य मंत्रालय) के रूप में भारत सरकार ने प्रतिभूति दे रखी थी। 30 सितम्बर, 1963 को उक्त नकदी उधार लेखा में से आहरित की गई राशि रु. 1,81,73,957.18 थी।

(घ) कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल संपत्ति नहीं है।

(ड.) भारत सरकार के निर्णयानुसार एक प्राइवेट कंपनी अर्थात् मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड का 26 सितंबर, 1963 को पंजीयन कराया गया। इस कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपए है, जो 100–100 रुपए के 5 लाख इक्विटी शेयरों में विभक्त है, जिसमें से 2करोड़ रुपए मूल्य के 2 लाख शेयर अभिदत्त और अनुमत हो चुके हैं। 30 सितम्बर, 1963 के दिन कंपनी के शेयरधारियों की एक सूची इसके साथ संलग्न सातवीं अनुसूची में दी गई है। यह कंपनी खनिजों, कच्ची धातुओं तथा संकेंद्रकों तथा अन्य संबद्ध पण्यों का भारत से निर्यात करने तथा उनके निर्यातों को संगठित करने तथा लोहा, इस्पात तथा अन्य मिश्रित धातुओं समेत धातुओं तथा अर्द्ध विनिर्मित (और औद्योगिक कच्चा माल जो औद्योगिक तथा/अथवा देशीय प्रयोग में आने वाले लोहे तथा इस्पात के प्रक्रमण में काम आता है) तथा अन्य संबद्ध वस्तुओं के भारत में आयात करने तथा ऐसे विशेष प्रबंधों को लागू करने, जैसे आयात, निर्यात, आंतरिक व्यापार तथा/अथवा खनिजों, कच्ची धातुओं तथा संकेंद्रकों, लोहा, इस्पात तथा उनकी मिश्रित धातुओं समेत धातुओं, तथा अर्ध विनिर्मित वस्तुओं अथवा भारत सरकार समय–समय पर जनहित में जिन वस्तुओं को निर्दिष्ट करे उनके सहबद्ध सौदे तथा वस्तु विनिमय करने के उद्देश्य से गठित की गई थी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस कंपनी ने राज्य व्यापार निगम से खनिजों, कच्ची धातुओं, संकेंद्रकों, धातुओं तथा संबद्ध वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय तथा व्यापार को अधिग्रहीत करके अपने हाथ में ले लिया।

(च) दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के शेयरधारियों ने 30 सितंबर, 1963 को अपनी वार्षिक सामान्य बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया जिसके अनुसार स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के खनिजों, कच्ची धातुओं, संकेंद्रकों, तथा संबद्ध वस्तुओं के व्यवसाय तथा व्यापार को मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. को अंतरित किया गया जिसने 1–10–1963 के अपने संकल्प द्वारा इन वस्तुओं के व्यवसाय तथा व्यापार को संभालने, संचालित करने तथा अधिग्रहीत करने का निर्णय किया।

योजना

1 (अ) दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. इसके आगे "अंतरणकर्ता कंपनी" कहलाएगी।

(आ) मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. इसके आगे "अंतरिती कंपनी" कहलाएगी।

(इ) एक अक्तूबर, उन्नीस सौ तरेसठ इसके आगे "अंतरण की तारीख" कहलाएगी।

2. इस योजना के उपबंध अंतरणकर्ता कंपनी के केवल उस कार्य पर अथवा उस कार्य से संबंधित भाग पर लागू होंगे जो उसके खनिजों, कच्ची धातुओं तथा अन्य संबंधित वस्तुओं के व्यवसाय तथा व्यापार से संबंधित है और जिसे इस योजना की दूसरी अनुसूची में लगभग पूरी तरह से तथा ठीक–ठीक तरीके से दर्शाया गया है।

3. इस योजना के प्रभावी हो जाने पर अंतरणकर्ता कंपनी के खनिजों, कच्ची धातुओं, संकेंद्रकों, धातुओं तथा अन्य वस्तुओं के व्यवसाय तथा व्यापार संबंधी कार्यकलापों जिनका इस योजना से संलग्न दूसरी अनुसूची में लगभग पूरी तरह से तथा ठीक तरीके से उल्लेख तथा वर्णन किया गया है (और जिसे इसके बाद से "अंतरित व्यवसाय" कहा जाएगा) विषयक सभी दरें, शक्तियां, मांगें, हित, दावे, प्राधिकार, विशेषाधिकार, प्रावधान, हितलाभ, खाता ऋण, बंधक ऋण तथा ऋणाधारों के लाभ के साथ अन्य प्रकार के ऋण अथवा उनके लिए दी गई कोई प्रतिभूति और किसी भी प्रकार के सभी अन्य संपत्ति अधिकार जिनमें किसी भी प्रकार के तथा कहीं भी विद्यमान सभी अधिकार शामिल हैं, अंतरण की तारीख से इस योजना के अन्य उपबंधों के अधीन, अंतरिती कंपनी को अंतरित हो जाएंगे अथवा अंतरित हुए माने जाएंगे अथवा समस्त विद्यमान भारों के अधीन उसकी संपत्ति तथा परिसंपत्ति हो जाएंगे; तथा अंतरण की तारीख को अंतरणकर्ता कंपनी पर अंतरित व्यवसाय संबंधी सार देयताएं तथा प्रावधान, कर्तव्य तथा दायित्व अंतरिती कंपनी के नाम अंतरित हो जाएंगे अथवा अंतरित हुए माने जाएंगे अथवा अंतरिती कंपनी की देयताएं, कर्तव्य तथा दायित्व माने जाएंगे।

4. विकास छूट आरक्षित निधि में से 40,944 रुपए की धनराशि (जो अंतरित कंपनी को अंतरित परिसंपत्तियों के आधार पर तय की गई है) तथा 30 सितंबर, 1963 को अंतरणकर्ता कंपनी के तुलन पत्र में उल्लिखित विभिन्न आरक्षण निधियों जो इसके साथ संलग्न तीसरी अनुसूची में दर्शाई गई हैं, की कुल राशियों का 50 प्रतिशत धन अंतरिती कंपनी के नाम अंतरित करने का प्रस्ताव है तथा वह इस धन का अपने व्यवसाय को चलाने अथवा उसके प्रसंग में जैसे भी और जिस समय चाहे उपयोग कर सकती है।

5. पूर्वोक्त उपबंधों की व्यापकता के प्रतिकूल न जाते हुए अंतरित व्यवसाय संबंधी सभी संविदाएं, विलेख, बंधपत्र, करार मुख्तारनामे, कानूनी प्रतिनिधान अधिकार तथा अन्य सभी प्रकार के प्रपत्र जो अंतरण की तारीख से तत्काल पहले जारी थे अथवा प्रभावी थे, वे अब अंतरिती कंपनी के पक्ष में अथवा विरुद्ध प्रभावी होंगे और उन पर ऐसे कार्रवाई होगी जैसे अंतरणकर्ता कंपनी नहीं अपितु अंतरित कंपनी ही उसका एक पक्ष था अथवा जैसे कि उन्हें अंतरित कंपनी के पक्ष में ही जारी किया गया था।

6. क) अंतरणकर्ता कंपनी द्वारा अंतरित व्यवसाय के संबंध अथवा संदर्भ में किया गया कोई मुकदमा, अपील अथवा अन्य प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई यदि अंतरण की तारीख पर न्यायालय के विचाराधीन पड़ी है तो वह अंतरित कंपनी द्वारा अथवा उसके विरुद्ध चलाया अथवा प्रवर्तित किया जाएगा।

ख) अंतरित व्यवसाय के संबंध में अथवा संदर्भ में मुकदमा दायर करने अथवा कानूनी अथवा अन्य प्रकार की कार्रवाई करने का कोई अधिकार जो अंतरण की तारीख को अथवा उससे पहले अंतरणकर्ता कंपनी के लिए सुनिश्चित था वह अब अंतरिती कंपनी का होगा अथवा हो जाएगा अथवा हुआ माना जाएगा तथा ऐसे किसी मुकदमे, कार्रवाई अथवा प्रक्रिया को दायर करने अथवा उसका बचाव करने के लिए उपयुक्त पक्ष अंतरिती कंपनी ही होगी।

7. अंतरिती कंपनी को इस योजना के अंतर्गत अंतरित होने वाली सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, देयताओं तथा जिम्मेदारियों के संपूर्ण तथा प्रभावी अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्य करने अथवा वे सभी कदम उठाने जो आवश्यक, प्रासंगिक, तथा अनुवर्ती हों, का अधिकार तथा प्राधिकार होगा।

8 क) विक्रेय माल को छोड़ कर अंतरित व्यवसाय संबंधी सभी परिसंपत्तियों, संपत्तियों तथा देयताओं का अंतरण की तारीख पर मूल्य, वही होगा जो इस योजना से संलग्न अनुसूची में उनका मूल्य दिखाया गया है और वही अंतरणकर्ता कंपनी की बहियों में उस दिन दिखाया गया है।

ख) पूर्वोक्त उपबंधों के अनुसार किया गया परिसंपत्तियों का मूल्यन और देयताओं का निर्धारण अंतिम होगा और दोनों कंपनियों तथा दोनों कंपनियों के सदस्यों तथा लेनदारों के लिए बंधनकारी होगा।

9 क) अंतरण की तारीख पर देयताओं के कुल मूल्य पर परिसंपत्तियों के कुल मूल्य के आधिक्य (इस योजना के पैरा 4 के अंतर्गत प्रस्तावित आरक्षण निधियों के अंतरण समेत) में से दो करोड़ रुपए की राशि, जो अंतरिती कंपनी द्वारा अंतरणकर्ता कंपनी को पहले ही अदा की जा चुकी है, घटा कर जो शेष रहेगा वह कर्ज माना जाएगा जिसको अंतरिती कंपनी तीन छमाही किस्तों में अंतरणकर्ता कंपनी को चुकाएगी ।

(इन किस्तों की तारीखें 1 अक्तूबर 1955, 1 अप्रैल, 1966 तथा 1 अक्तूबर, 1966 होंगी।

10 क) इन दोनों कंपनियों के बीच विद्यमान कार्यालयों तथा पदों का बंटवारा इस योजना के साथ संलग्न छठी अनुसूची के अनुसार होगा।

ख) 30 सितम्बर, 1963 को अंतरित व्यवसाय में लगे अथवा उस संबंधी कर्मचारी तथा वे कर्मचारी जिनके पदों अथवा जिनकी सेवाओं को इस योजना की छठी अनुसूची के अनुसार अंतरती कंपनी को आबंटित कर दिया गया है (ऐसे कर्मचारियों को इसके बाद से "अंतरित कर्मचारी" कहा जाएगा) अंतरिती कंपनी की सेवा में सतत रूप से कार्य करते रहेंगे और उन्हें ऐसा माना जाएगा जैसे वे रोजगार की प्रारंभिक तारीख को अंतरिती कंपनी द्वारा ही नियुक्त किए गए थे। अंतरित कर्मचारियों के ऐसे दावे, यदि कोई हों, जो अंतरण की तारीख से पहले की अवधि के सिलसिले में हैं वे भी अंतरिती कंपनी द्वारा ही भुगताए जाएंगे।

11) अंतरणकर्ता कंपनी के कर्मचारियों के लिए गठित भविष्य निधि के न्यासधारी इस योजना के प्रभावी हो जाने की तारीख के तत्काल बाद अथवा यथाशीघ्र अंतरिती कंपनी को अंतरित कर्मचारियों का वह संपूर्ण धन अथवा निवेश, जो अंतरण की तारीख से तत्काल पहले उक्त कर्मचारियों के लाभार्थ उनके न्यास में था, अंतरिती कंपनी द्वारा उक्त कर्मचारियों के लिए गठित अथवा गठित किए जाने वाले भविष्य निधि के न्यासधारियें को अथवा जैसे अंतरित कंपनी चाहे उस प्रकार से अंतरित करना होगा।

परंतु अंतरिती कंपनी के भविष्य निधि न्यासधारी अंतरण की तारीख से पहले की निवेश के मूल्य अथवा कृत्य के संबंध में किसी कमी, लापरवाही अथवा भूलचूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

12 क) अंतरित व्यवसाय अथवा अंतरित कर्मचारियों संबंधी अथवा व्यवसाय के अंतरण से उत्पन्न सभी अधिकार, दायित्व तथा दावे, फिर चाहे वे अंतरण के पहले की अवधि के हों अथवा उसके बाद की अवधि के, अंतरिती कंपनी को प्राप्त होंगे और यदि तकनीकी, कानूनी अथवा अन्य कारणों की वजह से अंतरणकर्ता कंपनी को ही किसी ऐसी देयता का निर्वाह करना पड़ता है जो अंतरित व्यवसाय अथवा अंतरित कर्मचारियों से से संबंधित है तथा अंतरण की तारीख से पहले की अवधि के लिए लिए है तो देया अथवा उन देयताओं को पूरा करने पर होने वाले सभी खर्चों तथा संपूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति अंतरिती कंपनी को करनी होगी।

ख) पूर्वोक्त धारा के प्रतिकूल जाए बिना अंतरण की तारीख के पहले की अवधि के लिए अंतरित व्यवसाय संबंधी किसी भी कर, शुल्क, उपकर, फीस अथवा अन्य इसी तरह की कानूनी देयता अथवा दायित्व की पूर्ति अंतरिती कंपनी को करनी होगी और तत्संबंधी संपूर्ण दायित्व अथवा देयता अथवा किसी भी मांग का अंतरणकर्ता कंपनी को प्रतिपूर्ति करके अथवा स्वयं वहन करना होगा और यदि ऐसी किसी देयता अथवा दायित्व को उस देयता अथवा दायित्व के निर्वाह की पूरी रकम अंतरिती कंपनी से वसूल करने अथवा उसके भुगतान की मांग करने का अधिकार होगा।

13) यह योजना तभी प्रभावी हो जाएगी जब :–

क) यह योजना कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391 के अंतर्गत न्यायालय के एक आदेश द्वारा संस्वीकृत हो जाएगी और उक्त आदेश की एक प्रति कंपनियों के पंजीयक को पंजीयन के लिए प्रदान कर दी जाएगी; तथा

ख) न्यायालय योजना के संस्वीकृति आदेश द्वारा अथवा कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत बाद में दिए गए आदेश/आदेशों द्वारा इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दे देगा।

14) अंतरणकर्ता कंपनी सभी संबंधित व्यक्तियों की ओर से इस योजना में किसी संशोधन के लिए अथवा न्यायालय द्वारा अनुमोदित अथवा लागू किसी शर्त को मानने के लिए सहमत हो सकती है।

अनुसूची I

30–09–63 को स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन के शेयरधारियों की सूची

क्रम संख्या	नाम	शेयर की संख्या	प्रत्येक शेयर का मूल्य	कुल राशि
1)	भारत के राष्ट्रपति	1,99,997	100.00	1,99,99,700.00
2)	श्री डी. एस. जोशी, सचिव, वाणिज्य मंत्रालय	1	100.00	100.00
3)	सचिव, उद्योग मंत्रालय	1	100.00	100.00
4)	श्री एस. वोहरा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय	1	100.00	100.00
		2,00,000		2,00,00,000.00

अनुसूची II

30–09–63 को मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को अंतरित वस्तुओं की सूची

1)	कच्चा लोहा	2)	मैगनीज अयस्क
3)	मैगनीज डायोक्साइड	4)	फैरो मैगनीज
5)	अभ्रक	6)	क्रोम अयस्क
7)	बॉक्साइट	8)	फैरो वैनेडियम
9)	स्टेनलैस स्टील	10)	तांबा
11)	जस्ता	12)	अल्यूमिनियम
13)	सीसा	14)	टीन

अनुसूची III

आरक्षण – निधियों का ब्यौरा

क्रम संख्या	नाम		30–9–63 को कुल आरक्षण–निधि	एम एम टी सी का अंश
1	विकास छूट आरक्षण निधि		1,17,040,00	40,944,00
2	अन्य आरक्षण निधियां :–			
	क. पूंजी आरक्षण निधि	2,00,000.00		
	ख. भवन ,, ,,	1,45,00,000.00		
	ग. कीमत उतार–चढ़ाव ,,	90,00,000.00		
	घ. व्यापार विकास ,,	2,69,93,928.73		
	ड. बीमा ,,	1,06,23,220.08		
	च. कर्मचारी हितलाभ ,,	14,85,225.59		
	छ. उर्वरक विकास ,,	22,66,074.58		
	ज. सामान्य ,,	44,99,141.30	6,95,66,890.28	3,47,83,445.14
		एक और दो का जोड़	6,96,83,930,.28	3,48,24,389.14

नोट : मद 2 (क) पर उल्लिखित पूंजी आरक्षण निधि तथा मद 2 (छ) पर उल्लिखित आरक्षण निधि में से रु. 2,64,963.16 को छोड़कर सभी आरक्षण निधियां अंतरणकर्ता कंपनी के व्यापारिक लाभों में से बनाई गई हैं।

अनुसूची IV

क.	परिसंपत्तियां	1. फर्नीचर तथा फिटिंग्स	1,30,880.91
		2. वाहन	73,721.46
		3. वातानुकूलक, पंखे तथा टाइप मशीनें आदि	1,25,762.50
		4. संयंत्र तथा मशीनरी	54,372.06
		5. स्टेशनरी का स्टाक	11,693.63
		6. विविध देनदार	3,15,63,767.86
		7. नगदी शेष	1,996.23
		8. कर्ज और पेशगियां	1,80,22,665.61
		9. अन्य लेखाओं से	38,08,121.31
ख.	देयताएं	1. विविध लेनदार	3,79,76,429.09
		2. अन्य देयताएं	12,13,545.82
		3. प्रावधान	1,37,02,172.63

अनुसूची V

1–10–63 को एम एम टी सी को अंतरित माल का ब्यौरा

1.	कच्चा लोहा	1,78,87,531.47
2.	मैगनीज अयस्क	21,82,760.71
3.	क्रोम अयस्क	5,132.90
4.	तांबा	3,48,34,734.82
5.	जस्ता	1,06,16,382.83
6.	अल्यूमिनियम	13,04,288.65
7.	सीसा	8,98,397.06
8.	टिन	9,08,278.08
9.	स्टेनलैस स्टील	1,82,524.38
		6,86,20,030.90

अनुसूची VI

1–10–1963 को एस टी सी के मुख्य कार्यालय में कर्मचारियों की संस्वीकृति संख्या

क्रम सं.	पद की श्रेणी	रसायन		सीमेन्ट		उपभोक्ता वस्तुएं		कृषिज उत्पाद		जोड़	
		एस टी सी	एम एम टी सी	एस टी सी	एम एम टी सी	एस टी सी	एम एम टी सी	एस टी सी	एम एम टी सी	एस टी सी	एम एम टी सी
1	2	3		4		5		6		7	
1.	प्रभागीय प्रबंधक	1	–	1	–	1	–	1	–	4	–
2.	प्रभागीय संयुक्त प्रबंधक	1	–	1	–	2	–	4	–	8	–
3.	प्रभागीय उप प्रबंधक	2	–	1	–	3	–	6	–	12	–
4.	प्रभागीय सहायक प्रबंधक	5	–	1	–	2	–	6	–	14	–
5.	अनुभाग अधिकारी	3	–	2	–	3	–	4	–	12	–
6.	सहायक	8	–	2	–	3	–	4	–	17	–
7.	आशुलिपिक	5	–	4	–	7	–	10	–	26	–
8.	प्रवर श्रेणी लिपिक	8	–	7	–	11	–	12	–	38	–
9.	आशु टंकक	5	–	1	–	3	–	6	–	15	–
10.	अवर श्रेणी लिपिक	12	–	10	–	10	–	12	–	44	–
11.	निरीक्षक वर्ग–II	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
12.	प्रदर्शक	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
13.	दफ्तरी	1	–	1	–	1	–	1	–	4	–
14.	चपरासी	6	–	8	–	8	–	11	–	33	–
		57	–	40	–	55	–	77	–	229	–

विधि कार्यालय का भाग एम एम टी सी को अंतरित कर दिया गया ।

नोट : ये प्रभाग पूरी तरह से एस टी सी के क्षेत्र में आने वाली व्यापारिक वस्तुओं से संबंद्ध हैं। अतः इनके सारे कर्मचारी एस टी सी में ही रहने दिए गए हैं तथा इनके संबंध में कोई विभाजन आदेश जारी नहीं किया गया ।

अनुसूची VI

1–10–1968 को एस टी सी तथा एम एम टी सी के बीच मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों का विभाजन

क्रम सं.	पद की श्रेणी	प्रशासन		वित्त तथा लेखा		आर्थिक		इंजीनियरी		खनिज		जोड़	
		एस टी सी	एम एम टी सी	एस टी सी	एम एम टी सी	एस टी सी	एम एम टी सी	एस टी सी	एम एम टी सी	एस टी सी	एम एम टी सी	एस टी सी	एम एम टी सी
1	2	3		4		5		6		7		8	
1.	प्रमागीय प्रबंधक	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	1	3
2.	वित्त तथा लेखा अधिकारी और मुख्य लेखा अधिकारी	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1
3.	अतिरिक्त प्रमागीय प्रबंधक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
4.	प्रमागीय संयुक्त प्रबंधक	–	–	–	–	–	1	1	1	–	4	1	6
5.	संयुक्त वित्तीय सलाहकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	उपमुख्य लेखा अधिकारी	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	2	2
7.	परिवहन सलाहकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
8.	उपप्रमागीय प्रबंधक	2	2	–	–	1	–	1	1	–	5	4	8
9.	जन संपर्क अधिकारी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
10.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
11.	अनुसंधान अधिकारी	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	2	2
12.	लेखा/अधिकारी/ए.एफ.	–	–	6	6	–	–	–	–	–	–	6	6

1	2	3		4		5		6		7		8	
13.	निजी सचिव	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
14.	अ.प्र. प्रबंधक सचिव	2	2	—	—	1	1	3	3	—	7	6	13
15.	अनुभाग अधिकारी	5	3	3	2	1	1	3	3	—	16	12	25
16.	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
17.	सहायक/कोषाध्यक्ष	14	9	12	8	4	1	2	2	—	12	32	32
18.	लेखापाल	1	1	8	6	—	—	—	—	—	1	9	8
19.	ड्राइंग सहायक	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
20.	आशुलिपिक	6	8	4	5	2	2	1	4	—	11	13	30
21.	रखवाल	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22.	सहायक रखवाल	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
23.	ड्राफ्टमैन	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
24.	अनुसंधान सहायक	—	—	—	—	5	4	—	—	—	—	5	4
25.	कनिष्ठ ड्राफ्टमैन	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
26.	प्रवर श्रेणी लिपिक	26	15	33	19	2	2	11	10	—	40	72	86
27.	आशु टंकक	5	3	3	3	5	5	4	2	—	11	17	24
28.	कम्पटोमीटर प्रचालक	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
29.	सहायक रोकड़िया	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
30.	अवर श्रेणी लिपिक	25	20	14	10	6	3	11	10	—	27	56	70
31.	ट्रेसर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
32.	दूररमुद्रक प्रचालक	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—

1	2	3		4		5		6		7		8	
33.	टेलीफोन प्रचालक	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
34.	गेस्टेटन्र प्रचालक	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
35.	गेस्टेटनर परिचारक	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
36.	ड्राइवर	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4
37.	बिजली मिस्त्री	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
38.	लिफ्ट प्रचालक	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
39.	दफ्तरी	3	2	1	1	1	1	–	–	–	1	5	4
40.	जमादार	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	6	4
41.	चपरासी/चौकीदार	23	17	9	9	4	4	3	5	–	21	39	56
42.	माली	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	6	4
43.	फराश	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
44.	मेहतर	9	4	–	–	–	–	–	–	–	–	9	4
45.	खलासी	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
46.	प्रभागीय सहायक प्रबंधक/ बीमा/बीमा अधिकारी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	जोड़	161	110	96	72	36	26	40	42	–	159	334	409

छुट्टी रिजर्व पद

	एस टी सी	एम एम टी सी
प्रवर श्रेणी लिपिक	4	2
अवर श्रेणी लिपिक	2	1
आशु टंकक	1	1
ड्राइवर	1	—
चपरासी	2	1
जोड़	10	5
शिक्षु अधिकारी	3	2
कुल जोड़	13	7

1–10–1963 को एस टी सी तथा एम एम टी सी के बीच क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों का विभाजन

क्रम सं.	पद की श्रेणी	कलकत्ता		बम्बई		मद्रास		विशाखापतनम		गोवा		जोड़	
		एस टी सी	एम एम टी सी	एस टी सी	एम एम टी सी	एस टी सी	एम एम टी सी	एस टी सी	एम एम टी सी	एस टी सी	एम एम टी सी	एस टी सी	एम एम टी सी
1	2	3		4		5		6		7		8	
1.	क्षेत्रीय प्रबंधक	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	1	4
2.	मुख्य जूट अधिकारी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
3.	संयुक्त क्षेत्रीय सलाहकार	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
4.	उप क्षेत्रीय प्रबंधक/ आर.सी.ओ.	4	3	1	1	2	3	–	–	–	–	7	7
5.	उप मुख्य लेखा अधिकारी	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	3	2
6.	जूट ग्रेडर	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
7.	सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक	7	5	4	3	2	7	–	–	–	1	13	16
8.	लेखा अधिकारी	1	1	–	–	1	1	–	1	–	1	2	4
9.	सहायक ग्रेडर	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
10.	अनुभाग अधिकारी कनिष्ठ क्षेत्राधिकारी	12	6	6	3	3	5	–	9	–	2	21	18
11.	निरीक्षक ग्रेड–1	–	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	5
12.	निरीक्षक ग्रेड–2	2	5	2	3	2	15	–	3	–	–	–	26
13.	निरीक्षक ग्रेड–3	1	12	2	4	3	7	–	–	–	4	6	27

1	2	3		4		5		6		7		8	
14.	आशुलिपिक	4	5	4	1	3	4	—	1	—	1	11	12
15.	सहायक/प्रवण ग्रेड लिपिक	11	8	2		6	7	—	5	—	2	19	25
16.	प्रवर श्रेणी लिपिक	26	67	26	26	24	48	—	23	—	2	36	166
17.	मिलान लिपिक	19	24	—	4	6	72	—	8	—	8	25	116
18.	आशु टंकक	4	2	4	2	3	5	—	2	—	2	11	13
19.	गोदाम कीपर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
20.	सहायक गोदाम कीपर	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—
21.	दूर मुद्रक प्रचालक	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—	4	2
22.	गोदी सरकार	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10
23.	अवर श्रेणी लिपिक	30	48	27	15	21	45	—	11	—	2	78	121
24.	कम्पटिस्ट	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1
25.	टेलीफोन प्रचालक	1	2	2	1	—	2	—	—	—	—	5	3
26.	ड्राइवर	7	5	1	1	4	4	—	1	—	1	13	12
27.	दफ्तरी	2	1	1	—	2	2	—	2	—	—	5	5
28.	जेस्टेटनर प्रचालक	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1
29.	चपरासी	13	28	13	5	12	32	—	10	—	5	38	80
30.	स्केलमैन	12	7	—	—	—	—	—	—	—	—	12	7
31.	दरबान/चौकीदार	51	24	—	17	5	8	—	4	—	1	56	54
32.	मेहतर	3	2	2	1	1	1	—	—	—	—	6	4

1	2	3		4		5		6		7		8	
33.	पानी वाला	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
34.	लेखापाल	3	5	3	2	2	3	–	3	–	–	8	13
35.	निरीक्षक	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19	–
36.	आर्थिक खोजकर्ता	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
37.	रसोइया तथा चौकीदार	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2
38.	कोषाध्यक्ष	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	जोड़	264	278	108	92	102	281	–	79	–	33	474	763

बम्बई क्षेत्र में एस टी सी तथा एम एम टी सी के बीच कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या का विभाजन

(केवल क्षेत्र कार्यालय)

क्रम सं.	पद की श्रेणी	कांदला		नागपुर		रेड्डी	
		एस टी सी	एम एम टी सी	एस टी सी	एम एम टी सी	एस टी सी	एम एम टी सी
1	2	3		4		5	
1.	सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक	–	1	–	–	–	–
2.	लेखापाल	–	1	–	–	–	–
3.	कनिष्ठ क्षेत्राधिकारी	–	–	–	1	–	–
4.	निरीक्षक ग्रेड–2	–	1	–	–	–	1
5.	निरीक्षक ग्रेड–3	–	1	–	–	–	1
6.	आशु टंकक	–	1	–	–	–	–
7.	प्रवर श्रेणी लिपिक	–	6	–	3	–	1
8.	अवर श्रेणी लिपिक	–	3	–	3	–	1
9.	मिलान लिपिक	–	2	–	8	–	2
10.	चपरासी	–	3	–	–	–	–
11.	ड्राइवर	–	1	–	–	–	–
12.	चौकीदार	–	2	–	–	–	–
	जोड़	–	22	–	15	–	6

अनुसूची VII

30–9–63 को मिनरल तथा मेटल ट्रेडिंग कार्पोरेशन के शेयरधारियों की सूची

क्रम सं.	नाम	शेयरों की संख्या	शेयर का मूल्य	कुल राशि
1.	भारत के राष्ट्रपति	199997	100.00	1,99,99,700.00
2.	श्री एस. वोहरा संयुक्त/सचिव, वाणिज्य मंत्रालय	1	100.00	100.00
3.	श्री डी. एस. जोशी, सचिव, वाणिज्य मंत्रालय	1	100.00	100.00
4.	श्री गोविन्द नरायन	1	100.00	100.00
		200000		2,00,00,000.00

नोट : श्री डी. एस. जोशी और श्री गोविन्द नरायन को शेयर 30 सितम्बर, 1963 के बाद जारी किया गया ।

दिनांक 31 मार्च, 1967
शब्द : 7000
लागत 17.50 न. पै.
एम सी एस

सत्य प्रतिलिपि
ह०/–
परीक्षक

ह0/– गुरुदत्त
सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित पंजीयक
ह०/– 23–1–68
परीक्षक, न्यायिक विभाग,
उच्च न्यायालय दिल्ली
(भारतीय साक्ष्य अधिनियम)
धारा 76 के अन्तर्गत प्राधिकृत